

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/210

सूरजकलां पुत्री राधाकिशन पत्नी श्री हेमराज जाति धाकड निवासी सनीजा बावडी हाल
कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

मोहन लाल पुत्र श्री राधाकिशन जाति धाकड निवासी सनीजा बावडी तहसील दीगोद
जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 15/211

मोहन लाल पुत्र श्री राधाकिशन जाति धाकड निवासी सनीजा बावडी तहसील दीगोद
जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

सूरजकलां पुत्री राधाकिशन पत्नी श्री हेमराज जाति धाकड निवासी सनीजा बावडी हाल
कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

- उपस्थित :-
1. श्री अमित शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 15/210 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 15/211 में रेस्पोडन्ट की ओर से ।
 2. श्री रामकल्याण शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 15/210 में रेस्पोडन्ट की ओर से एवं अपील संख्या 15/211 में अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 05.12.2017

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलों अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है ।



2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय के विरुद्ध होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय दोनों पत्रावलियों में अलग-अलग संलग्न किया जावे।
3. उक्त अपील में सूरजकलां को प्रार्थी अपीलान्ट एवं मोहन लाल को अप्रार्थी रेस्पोंडेन्ट के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
4. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट सूरजकलां ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने हेतु पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनीजा बावडी तहसील दीगोद में कु 03 किता की 4.38 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। प्रार्थिनी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थी जो कि लडाकू एवं झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तथा प्रार्थिनी के भ्राता है जो प्रार्थिनी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। अप्रार्थी आए दिन प्रार्थिनी से झगडा करते हैं तथा उक्त भूमि से प्रार्थिनी को बेदखल करने की धमकी देते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थिनी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार, दीगोद को रिसीवर नियुक्त करवाना चाहती है।
5. अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार, दीगोद को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे।
6. अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.06.2015 के द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी पर 2250/- रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर अप्रार्थी को उक्त भूमि पर कब्जा बनाये रखने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय पारित किया।
8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.06.2015 से व्यथित होकर प्रार्थिनी अपीलान्ट एवं अप्रार्थी रेस्पोंडेन्ट दोनों ने अलग-अलग अपीलें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया।
9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
10. अपील संख्या 15/210 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा रिसीवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेन्ट को बेदखल करने के लिए पेश किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि इस भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर पुलिस थाना बूढादीत के द्वारा धारा 145 जा0 फौ0 के अन्तर्गत रिसीवर नियुक्त करने हेतु इस्तगासा पेश किया था तथा इस इस्तगासे पर सुनवाई करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2014 को तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किया गया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोंडेन्ट का कब्जा मानने का कथन भी पूर्णतया असत्य और रिकॉर्ड के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड पर

प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलान्त और रेस्पोजेन्ट के मध्य कब्जे का विवाद है इसके अतिरिक्त पक्षकारों के मध्य फौजदारी मुकदमे भी चल रहे हैं इन मुकदमों में अनुसंधान से प्रमाणित है कि अपीलान्त खातेदार कृषक होने के कारण अपीलान्त का ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जा माना जावेगा । ऐसी परिस्थिति में रेस्पोजेन्ट को जबरन अपीलान्त के खाते की आराजी पर कब्जा करने से रोकने व अपीलान्त के अधिकारों की सुरक्षा हेतु रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश पारित किया है वह राशि 2250/- रुपये प्रतिबीघा बहुत कम है क्योंकि जहाँ यह भूमि है वहाँ कम से कम 12000/- रुपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष मुनाफा काश्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनी है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

11. अपील संख्या 15/211 में अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्त का उक्त भूमि पर गत 20 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है और रेस्पोजेन्ट को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं रहा है कि वह अपीलान्त को बेदखल करने का आदेश प्राप्त कर सके । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पोजेन्ट द्वारा धारा 145 जा0 फौ0 के प्रकरण में रिसीवर नियुक्त कराये जाने का आदेश प्राप्त कर थानेदार साहब बूढादीत को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था उसकी निगरानी अपीलान्त द्वारा जिला जजी कोटा के यहाँ करने पर रिसीवर नियुक्ति का आदेश निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 145 जा0 फौ0 द्वारा करने पर न्यायालय एडीजे नं0 03 कोटा ने रेस्पोजेन्ट की निगरानी को अपने निर्णय दिनांक 06.06.2015 के द्वारा निरस्त कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश पारित किया है वह राशि 2250/- अधिक से इसे 1500/- प्रतिबीघा विकल्प में कम किया जावे । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

12. रेस्पोजेन्ट के लायक अधिवक्ता ने एक-दूसरे की अपील खारिज करने का निवेदन किया ।


13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थिनी अपीलान्त सूरजकलां के खातेदारी की भूमि है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थी रेस्पोजेन्ट मोहनलाल द्वारा धारा 145 जा0 फौ0 के प्रकरण में रिसीवर नियुक्त कराये जाने का आदेश प्राप्त कर थानेदार साहब बूढादीत को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था उसकी निगरानी अपीलान्त द्वारा जिला जजी कोटा के यहाँ करने पर रिसीवर नियुक्ति का आदेश निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 145 जा0 फौ0 द्वारा करने पर न्यायालय एडीजे नं0 03 कोटा ने रेस्पोजेन्ट की निगरानी को अपने निर्णय दिनांक 06.06.2015 के द्वारा निरस्त कर दिया ।

14. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी अपीलान्त सूरजकलां ने नगदप्रतिभूति राशि बढ़ाये जाने का भी निवेदन किया है वही अप्रार्थी रेस्पोजेन्ट ने वादग्रस्त आराजी की नगद प्रतिभूति राशि कम किये

जाने का निवेदन किया है । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्त संख्या 15/210 एवं 15/211 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 05.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा